छोटेलाल बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 03 / 2025
निर्णय तिथिः—19.09.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 03 / 03 / 2025 ऑनलाईन नम्बरः— 2025 / 13 प्रवेश तिथिः—08.01.2025

1. छोटेलाल मीना पुत्र श्री जिन्सी राम मीना निवासी थाना तहसील राजगढ जिला अलवर।

..............प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

..............अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. स्वयं—प्रार्थी
तहसीलदार राजगढ —अप्रार्थी

:निर्णयः— दिनांकः—19.09.2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम बावत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 270 खसरा नम्बर 217 / 0.3700, 218 / 0.1200, 220 / 0.1800, 221 / 0.3800, 222 / 0.1400, में प्रार्थी का हिस्सा 1 / 32 व खाता संख्या 269 खसरा संख्या 166 / 0.4500, 168 / 0.6400, 169 / 0.0600 में प्रार्थी 1 / 24 हिस्सा वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम **छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम मीना की जगह सहवन से छोटा पुत्र जिन्सी** दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के नाम अन्य रिकार्ड में **छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम मीना** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सही नाम **छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम मीना** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 1403 दिनांक 04.08.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम थाना खाता संख्या 270, 269 में **छोटा पुत्र जिन्सी** सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि **छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम मीना व छोटा पुत्र जिन्सी एक ही व्यक्ति है।** जिसका सही नाम छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम मीना होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

छोटेलाल बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 03 / 2025
निर्णय तिथिः–19.09.2025

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 270 खसरा नम्बर 217 / 0.3700, 218 / 0.1200, 220 / 0.1800, 221 / 0.3800, 222 / 0.1400, में प्रार्थी का हिस्सा 1 / 32 व खाता संख्या 269 खसरा संख्या 166 / 0.4500, 168 / 0.6400, 169 / 0.0600 में प्रार्थी 1 / 24 हिस्सा वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम मीना की जगह सहवन से छोटा पुत्र जिन्सी** दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025, व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 270 खसरा नम्बर 217 / 0.3700, 218 / 0.1200, 220 / 0.1800, 221 / 0.3800, 222 / 0.1400, में प्रार्थी का हिस्सा 1 / 32 व खाता संख्या 269 खसरा संख्या 166 / 0.4500, 168 / 0.6400, 169 / 0.0600 में प्रार्थी 1 / 24 हिस्सा वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोटा पुत्र जिन्सी दर्ज है उसके स्थान पर छोटे लाल पुत्र जिन्सी राम जाति मीना दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते